



2026:AHC:35729

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए-2074 सन् 2026

उद्दाम सिंह

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

यूपी राज्य, और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (ओं)

याचिकाकर्ता (ओ) के अधिवक्ता

: अजय कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी (ओ) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं.-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री गौरव सिंह, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. प्रथम दृष्ट्या रिट याचिका की रख-रखाव के संबंध में इस आधार पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा देने वाला आदेश अपील योग्य है।
3. उक्त मुद्दे का सामना करते हुए रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपील को प्राथमिकता देने में देरी होगी, देरी को क्षमा कर दिया जाएगा।
4. न्यायालय की राय में, मामले में, यदि किसी अपील में देरी को क्षमा करने के लिए उचित आधार लिया जाता है तो इस न्यायालय के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उस पर विधि के अनुसार विचार किया जाएगा।
5. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण हो जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

राजेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”